

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

मु0आ0 (अ0उ0)4515 -01-19/2025 - 147

/पटना, दिनांक- 24/01/2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0र0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति मद में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति मद के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजनाओं के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की है, पर-सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:-

Sl No.	Division	Block	Project Id	Road Name	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification, Minor improvement and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost @ 2.25% + 1% (in lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	Araria	Sikti	N412060002058	L031-Darhua T02 To Sodhi (VR31)	3.779	642.509	37.072	101.937	22.086	803.604
2	Araria	Sikti	N412060002056	L029-T04 To Ranikatta (VR29)	3.980	448.016	32.998	72.152	15.633	568.799
3	Araraj	Harsiddhi	31708308060	Special Repairment of Road From Madyariyan Kanta Chauk To Block Headquarter Haridhi Via Hospital	6.720	476.019	55.877	79.784	17.287	628.97
4	Forbesganj	Narpatganj	21206102052	L051- NH57 Rajganj to Nathpur Narpatganj Boarder (VR51)	6.900	709.130	73.643	117.416	25.440	925.63
5	Forbesganj	Narpatganj	4126183838409	L031- Kanhali to Tamganj (VR31)	4.550	539.833	43.147	87.747	19.012	691.739
6	Forbesganj	Narpatganj	N412061002087	Rajganj to Batwa A	3.985	388.395	35.379	63.566	13.772	501.112
7	Forbesganj	Raniganj	21206100816	PWD Road to Dumariya Chowk to Karbala Hai Road	3.890	858.542	56.748	137.294	29.747	1082.331
8	Forbesganj	Raniganj	4126193825447	T17- Raniganj to Kabilasha (VR35)	5.900	718.983	64.906	117.583	25.476	926.948
9	Forbesganj	Raniganj	4126193825480	Belsara Ukramit Middle School to Belsara Chandi Ghansi Mahadali Tola	2.730	394.512	29.717	63.634	13.788	501.631
10	Forbesganj	Narpatganj	21206108013	Repair Of Road From Bathalia To Sonapur	7.500	1142.569	73.399	182.393	39.320	1437.883

29	Lakhisarai	Sunajgarha	N308040024143	Tetariya Shivanagar Mushari To Simratari Korasi	4.300	404.120	43.402	61.178	14.669	531.56
30	Mohania	Durgawati	10301300823	Daradhi To NH-2 Via Dheriya Road	7.670	563.120	78.270	95.507	20.710	768.307
31	Motihari	Kotwa	31708208098	Repair of Road From Kasariya Chiran Machine To Panchbhira Road	6.000	742.120	77.250	122.910	26.630	968.910
32	Rosera	Shivajinagar	6201034334336320	Rosera Shivajinagar to Jakhari	9.400	743.276	79.404	91.593	19.845	934.120
33	Rosera	Shivajinagar	6201034334329000	X-Road To L034-Kolhota	7.860	646.114	70.563	107.502	23.292	847.471
34	Rosera	Singhia	6201034334336320	Repair of Morwada - Ganwada Jalwada Harpur Road	5.000	397.621	39.574	65.579	14.209	516.983
35	Samastipur	Kalyanpur	32010100848	Kalyanpur Chowk To Madhuban (Kishanpur Railway Station)	5.020	825.272	56.072	132.202	28.643	1042.189
36	Siwan-2	Guthani	31406702112	L029-T01 Jataur Rewasi to Bangra (VR9)	6.175	448.780	69.060	77.680	16.830	612.350
37	Siwan-2	Guthani	N514067024138	PWD Road to Tarka khurd (Torwa Khurel)	4.900	401.020	54.410	68.310	14.800	538.540
TOTAL					224.352	20849.574	2319.231	3443.510	746.096	27358.41093

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उप मुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 37-4515-00-789-0107, मूल बजट उपबंध-700 करोड़ रु० है। दिनांक 02.08.2024 को संपन्न लोक वित्त समिति की बैठक में BOS में 500 करोड़ की अतिरिक्त छूट दी गयी है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त मूल बजटीय उपबंध के तीन गुणा राशि में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सृजित दायित्व की राशि घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जानी है। वर्णित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
3. पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
4. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
5. सारणी में अंकित योजनाओं के निविदा निष्पादनोपरांत कार्य का सम्पादन एवं क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर किये गये प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में नहीं हो।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ० (अ०उ०)4515-01-19/2025 के पृ०-05/टि० पर दिनांक-17.01.2025 को प्राप्त है।
19. सारणी में अंकित योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)4515-01-19/2025 के पृ०-10/टि० पर दिनांक-20.01.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(जज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव